

National Commission for Scheduled Tribes
Press Note

Dated: 29th March, 2010

The National Commission for Scheduled Tribes was constituted w.e.f. 19th February, 2004 consequent to the amendment of Article 338 of the Constitution of India and insertion of a new Article 338A vide the Constitution (Eighty-ninth Amendment) Act, 2003. This Article, *inter-alia*, enjoins upon the Commission to oversee the implementation of various safeguards provided to Scheduled Tribes under the Constitution or under any other law for time being in force or under any other order of the Govt. and to evaluate the working of such safeguards.

2. Article 338A of the Constitution, also, enjoins upon the National Commission for Scheduled Tribes to present to the President Report(s) upon the working of the Constitutional safeguards for Scheduled Tribes, and to make recommendations regarding the measures that should be taken by the Union or any State for effective implementation of those safeguards and for the protection, welfare and socio-economic development of Scheduled Tribes. In pursuance of these provisions, Shri Maurice Kujur, Vice-Chairperson, Shri Tsering Samphel and Shri Oris Syiem Myriaw, Members of the Commission met the Hon'ble President of India at 12:40 PM on today the 29th March, 2010 at Rashtrapati Bhawan, New Delhi and presented the Third Report of the Commission for the year 2007-08 to the Hon'ble President.

3. As per the constitutional provisions the report of the Commission has to be laid in both houses of the Parliament alongwith a Memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations relating to the Union. Similar action has to be taken by the State Governments while laying the Report in the Legislative Assembly of the State concerned, in relation to the recommendations concerning the State.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
प्रेस नोट

दिनांक 29 मार्च, 2010

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना संविधान (89 वां संशोधन) अधिनियम 2003, के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 338क जोड़कर दिनांक 19 फरवरी, 2004 से की गई है। इस अनुच्छेद में, अन्य बातों के साथ-साथ, संविधान अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य कानून अथवा सरकार के किसी आदेश के अधीन अनुसूचित जनजातियों को दिए गए विभिन्न सुरक्षणों का कार्यान्वयन और ऐसे सुरक्षणों के कार्यकरण का मूल्यांकन करने का दायित्व सौंपा गया है।

2. संविधान का अनुच्छेद 338क, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षणों के कार्यान्वयन पर राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और उन सुरक्षणों के कारगर कार्यान्वयन हेतु आवश्यक उपाय करने तथा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण तथा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए संघ अथवा किसी राज्य द्वारा किए जाने वाले अन्य उपायों के संबंध में प्रतिवेदन में सिफारिशें करने का आदेश देता है। इन उपबंधों के अनुसरण में, आयोग के उपाध्यक्ष, श्री मोरीस कुजुर तथा सदस्यगण श्री छेरिंग सम्फेल और श्री वरीस सीम् मारीयाव ने भारत की माननीय राष्ट्रपति से आज दिनांक 29 मार्च 2010 को दोपहर 12:40 बजे राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में भेंट की तथा वर्ष 2007-08 के लिए आयोग की तीसरी रिपोर्ट, उन्हें प्रस्तुत की।

3. संवैधानिक उपबंध के अनुसार, आयोग का प्रतिवेदन, संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई का उल्लेख करते हुए, एक ज्ञापन सहित संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है। इसी प्रकार की कार्रवाई राज्य से संबंधित सिफारिशों के संबंध में संबंधित राज्य की विधान सभा में प्रतिवेदन रखते समय भी की जानी अपेक्षित है।